

Court No. - 48

Case :- WRIT - B No. - 1491 of 2020

Petitioner :- Lilawati @ Lalti

Respondent :- Chief Revenue Officer/Deputy Director Of Consolidation And 4 Others

Counsel for Petitioner :- Pramod Kumar Pandey

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anil Kumar,Ashish Kumar

Hon'ble Saurabh Shyam Shamshery,J.

1. Heard Sri Pramod Kumar Pandey, learned counsel for petitioner and learned Standing Counsel for State-Respondents.

2. This writ petition is filed against order dated 25.09.2017 passed by Consolidation Officer and 30.09.2020 passed by Deputy Director of Consolidation. Relevant part of the order passed by Revisional Authority is mentioned hereinafter:

"माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.07.2007 से स्पष्ट है कि बचत गाटा संख्या 1927/1 सं० रकबा 0.129 हे० पर वर्तमान में भी यथास्थिति का आदेश प्रभावी है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता को गाटा संख्या 2885 रकबा 0.056 हे० पुरानी गाटा संख्या 1927 पर चक प्रदिष्ट नहीं किया जा सकता है अन्यथा की दशा में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.07.2007 की अवमानना होगी। निगरानीकर्ती द्वारा अपने निगरानी में जो यह कहा गया है कि विद्वान चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा जो रकबा दिया गया है वह पूर्व रकबा 0.056 हे० से कम है जिसके कारण आदेश दिनांक 25.09.2017 के बने रहने से निगरानीकर्ती का रकबा कम हो रहा है। इस संदर्भ में आदेश दिनांक 25.09.2017 से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ती को 1.55 रुपया का मूल्यांकन निगरानीकर्ती के चक में उसके देय मूल्यांकन से अधिक प्रदिष्ट था। अतः 3.13 रुपया मूल्यांकन प्रदिष्ट कर चक का समायोजन किया गया। इस प्रकार $1.55 + 3.13 = 4.68$ रुपया का मूल्यांकन निगरानीकर्ती को प्रदिष्ट कर उसके चक को दुरुस्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि निगरानी में कोई बल नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।"

3. As referred above, the order was passed that the error in valuation was corrected and since this Court has seized of the matter in Writ-B No. 3518 of 2007, which has been dismissed vide order of date, therefore, I do not find any illegality in impugned order.

4. The writ petition is accordingly dismissed. Interim order, if any, stands vacated.

5. However, legal consequence of outcome of order passed in Writ-B No. 3518 of 2007 shall follow.

Order Date :- 11.12.2023

AK